समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. /2017/निगरानी II/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/4585

1–मंदिर श्री रामलला जी बांके, किला श्योपुर प्रबंधक–कलेक्टर श्योपुर द्वारा–पुजारी नरेन्द्र कुमार शर्मा

2–अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल बहीद मुसलमान निवासी करबला रोड श्योपुर

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1–राहुल पुत्र नरेन्द्र कुमार जागा, सचिव शिक्षा प्रसार समिति श्योपुर निवासी बायपास रोड श्योपुर

2–रूपकिशोर गर्ग पुत्र बाबूलाल गर्ग, सचिव शिक्षा प्रसार समिति श्योपुर निवासी श्योपुर

3–म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील श्योपुर

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार, तहसील के प्र.क. 01/2016–17/अ–13 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निगरानी पेश है:–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम जैदा की भूमि सर्वे कं. 365, 415 मंदिर श्री रामलाल जी बांके किला श्योपुर प्रबंधक कलेक्टर के नाम से खसरा पंचशाला में दर्ज है तथा आवेदक कं. 01 उक्त भूमियों पर मंदिर पुजारी की हैसियत से काश्त करता चला आ रहा है। अनावेदक कं. 01 व 02 द्वारा संहिता की धारा 131, 132 के तहत एक आवेदन तहसीलदार श्योपुर के समक्ष रास्ता निकालने हेतु पेश किया, उनके द्वारा वर्णित किया गया कि उक्त रास्ता 70–80 साल पुराना है जिसके समर्थन में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत नक्शा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक कं. 01 को सूचना पत्र जारी किया गया। आवेदक ने अपने सूचना पत्र के जवाब में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन असत्य एपं

क्रमशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/4585

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
7 .2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एच0 व्ही0 दुवे उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील श्योपुर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17/11/17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला श्योपुर सदस्य	